(36)

निग0 2692-एक/2012

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समक्षः डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2692–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–06–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल, संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 34/अपील/2007–2008.

इन्दरबाई पत्नि श्री कुमेर सिंह

निवासी ग्राम बूरदा तहसील पचौर
ज़िला राजगढ़ म.प्र. ----- आवेदक

विरूद्ध

1– इन्दरबाई पति देवकरण

2– कमलसिंह आत्मज स्व0 देवकरण
3– मुकेश आत्मज स्व0 देवकरण
4– कैलाश आत्मज श्री गंगाराम
क्रमांक 1 से 4 निवासी ग्राम बूरदा
तहसील पचौर राजगढ़
5– सुनीता पत्नी दीपकुमार
निवासी शाहबाजपुर तहसील तलैन
जिला राजगढ़
6– ममता पत्नी मनोज कुमार
निवासी ग्राम लाहरखेड़ा तहसील
शुजालपुर जिला शाजापुर ----- अनावेदकगण

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक – आवेदक ।
श्री डी0डी0 मेघानी अभिभाषक – अनावेदकगण ।

:: आदेश ::
(दिनांक 23 दिसम्बर 15 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त

भोपाल संभाग भोपाल के आदेश दिनांक 13–6–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि ग्राम बूरदा तहसील पचौर स्थित भूमि ख0क0 66 रकबा 6.027 है0 भूमि आवेदिका के पति के पिता गंगाराम की भूमि है। मृतक गंगाराम के तीन पुत्र थे। कुमेरसिंह, देवकरण एवं कैलाश नारायण। गंगाराम की मृत्यु के उपरांत उनकी उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व अभिलेखों में उनके विधिक उत्तराधिकारी का नामांतरण हुआ। आवेदिका के पति कुमेरसिंह के 7 सालों से अधिक समय से लापता होने के कारण आवेदिका द्वारा अपने पति कुमेरसिंह के स्थान पर अपना नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र नायब तहसीलदार टप्पा तलैन तहसील नरसिंहगढ के समक्ष प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 22–2–07 के द्वारा पति के स्थान पर आवेदिका का नामांतरण स्वीकार किया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदकण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29–8–07 के द्वारा अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 13–6–12 के द्वारा यह माना कि तहसीलदार द्वारा कुमरेसिंह के मृत होने के संभावना के आधार पर तहसीलदार द्वारा नामांतरण करना उचित नहीं माना जा सकता। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वादग्रस्त भूमि को पुनः पूर्व स्थिति में लाकर कुमेरसिंह की मृत्यु अथवा जीवित की पुष्टि उपरांत उभय पक्षों की सुनवाई कर नामांतरण आदेश पारित करें। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि 7 वर्षों से अधिक समय तक पति के लापता होने के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश दिनांक 22—2—07 के द्वारा नाामांतरण स्वीकृत किया गया जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी यथावत रखा। अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें अपर आयुक्त ने तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त करने में त्रुटि की है तथा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उसके पति 10—11 सालों से लापता है और 7 वर्ष से अधिक समय के पश्चात व्यक्ति के लापता होने पर उसे मृत माना जाता है। यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि प्रकिया एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि सभी पक्षकार गंगाराम के वारिस हैं। इंदरबाई ने कुमरेसिंह की पत्नी होने से वारिसान नामांतरण के लिए आवेदन लगाया था। कुमरेसिंह को मृत घोषित नहीं होने के बाद भी तहसीलदार ने नामातंरण कर दिया, जिसकी विरूद्ध अनावेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 31—7—06 के द्वारा प्रकरण इस आधार पर प्रत्यावर्तित किया कि मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है इसलिए मृत्यु की पुष्टि के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के पश्चात ही नामांतरण किया जाये। अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के बाद तहसील न्यायालय ने फिर से आदेश दिनांक 22—2—07 के द्वारा कुमेरसिंह के मृत होने की संभावना के आधार पर नामांतरण स्वीकृत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त को अपील की गई। अपर आयुक्त ने अपील

स्वीकार की एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31–7–06 का पालन नहीं होने से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये तथा आदेश दिनांक 31–7–06 का पालन करने के उपरांत कार्यवाही करने के आदेश दिये। यह भी तर्क दिया कि राजस्व न्यायालय को यह अधिकारिता नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति लापता हो जाये तो उसके वारिसों का नामांतरण कर दिया जाये। व्यक्ति को मृत घोषित करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। सक्षम न्यायालय से मृत घोषित होने के पश्चात ही उसके वारिसों का नामांतरण किया जा सकता है। अपर आयुक्त का आदेश उचित होने से निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्ययालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। 7 वर्षों से अधिक समय तक पति के लापता होने के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 22–2–07 के द्वारा आवेदिका के गवाहों एवं दैनिक समाचार द्वारा जारी उद्घोषणा के आधार पर कुमेरसिंह के मृत होने की संभावना के आधार पर आवेदिका के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया। तहसीलदार ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व में दिनांक 31–7–06 को अपील में प्रत्यावर्तित आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन किये बिना जिसमें कुमरेसिंह की मृत्यु अथवा जीवित की पुष्टि उपरांत उभय पक्षों की सुनवाई कर नामांतरण आदेश पारित करने के आदेश दिये थे। नायब तहसीलदार ने कुमेरसिंह की मृत्यु की पुष्टि अथवा सक्षम न्यायालय से मृत घोषणा संबंधी दस्तावेज के बिना ही नामांतरण स्वीकृत करने में त्रुटि की है। इसी विधिक बिन्दु के आधार पर अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर पुनः अनुविभागीय

अधिकारी के आदेश दिनांक 13–7–06 के पालन हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को भेजा है । म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 में इंगित अधिकार या हित का विधिपूर्वक अर्जन के नियम (2) उत्तराधिकार – संहिता की धारा 164 के अनुसार किसी भूमिस्वामी का हित, उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी स्वीय विधि के अधीन रहते हुये यथास्थिति दाय, उत्तराजीविता या वसीयत द्वारा हो जाने पर उसकी स्वीय विधि के अधीन रहते हुये यथास्थिति दाय, उत्तरजीविता या वसीयत द्वारा न्यागमित होगा । इस प्रश्न का विनिश्चय उस स्वीय विधि के अनुसार होगा जो भूमिस्वामी की मृत्यु के दिन प्रभावशील हो " स्वष्ट है कि नामांतरण हेतु व्यक्ति के मृत्यु के दिन से प्रभावशील होना अंकित होने से आवेदिका को सक्षम न्यायालय से कुमेरसिंह के मृत घोषित करने संबंधी उद्घोषणा प्राप्त कर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था । आवेदिका उक्त उद्घोषणा के पश्चात् ही आवेदन करने की अधिकारी है । अपर आयुक्त द्वारा पुनः तहसील न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31–07–06 का पालन करने का आदेश दिया है, जिसमें कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है । अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल का अदेश दिनांक 13–06–2012 स्थिर रखा जाता है ।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल ,मध्यप्रदेश
ग्वालियर